GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 224 TO BE ANSWERED ON THE 4TH AUGUST, 2023

PRESCRIPTION OF MEDICINES IN CGHS WELLNESS CENTRES

*224. SHRI C. LALROSANGA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether the Government has taken note that CGHS Wellness Centres including in the North-Eastern States like CGHS Wellness Centre, Dispur, Guwahati, the doctors refuse to give prescribed medicines advised by the doctors of private empanelled hospitals and instead give alternative medicines as per their own choice citing that the cost of prescribed medicines are higher;
- (b) if so, whether there are any guidelines issued by the Government which allow CMOs of CGHS Wellness Centres including in North-Eastern States to refuse to give the prescribed medicines advised by specialized doctors of private empanelled hospitals; and
- (c) the manner in which the Government monitor these sensitive issues in the North-Eastern States and take steps for the wellbeing of the CGHS card holders?

ANSWER THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 224 FOR 4TH AUGUST, 2023

(a) to (c) To promote generic medicines, government Medical Officers, time and again, have been instructed to prescribe generic medicines only and desist from prescribing branded medicines. Director General of Health Services in May, 2023 has reiterated directions for all doctors in Central Government Hospitals/ CGHS Wellness Centers/ Polyclinics to prescribe generic medicines only, failing which attracts suitable action. However, Specialists/ Doctors at CGHS empanelled hospitals at times prescribe branded medicines. Medical Officer at CGHS Wellness Centres do not provide alternative medicines. Only generic medicines having identical formulation and therpeutic effects are provided to beneficiaries in place of branded medicines prescribed by doctors of private empanelled Hospitals. In case suitable generic medicine or any other drug of same composition is unavailable at Wellness Centre, the prescribed medicine is indented through Authorized Local Chemist (ALC) and issued to the beneficiary. CGHS procures generic medicines in bulk through Medical Stores Organization. This mechasim of medicine distribution is followed across the country including North-Eastern States.

Strengthening and reform of any scheme is a continuous and dynamic process. To ensure optimal functionality to facilitate seamless delivery of health care services and prompt redressal of grievances within the CGHS system, Local Advisory Committee(s) at Wellness Centre level and Zonal Advisory Committee(s) at Additional Director level have been re-constituted in all CGHS cities including in North-Eastern States. Beneficiaries may raise the grievance related to issue of medicines before these Committees for redressal.

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 224

04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों का नुस्खा लिखा जाना

*224. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सीजीएचएस सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र, दिसपुर, गुवाहाटी सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा लिखी गई निर्धारित दवाएं देने से मना कर देते हैं और इसके बजाय निर्धारित दवाओं की लागत अधिक होने का हवाला देते हुए अपनी पसंद के अनुसार वैकल्पिक दवाएं देते हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों सिहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखी गई निर्धारित दवाएं देने से मना करने की अनुमित दी गई है; और
- (ग) सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में इन संवेदनशील मुद्दों की किस प्रकार निगरानी करती है और सीजीएचएस कार्ड धारकों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

04 अगस्त, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 224 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी चिकित्सा अधिकारियों को बार-बार अनुदेश दिए जाते रहे हैं कि वे नुस्खे में जेनरिक दवाएं ही लिखें तथा ब्रांडयुक्त दवाएं लिखने से बचें। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक ने केंद्र सरकार के अस्पतालों/ सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों/ पॉलीक्लिनिकों में सभी चिकित्सकों के लिए मई, 2023 में निदेश दोहराएं हैं कि वे केवल जेनरिक दवाएं ही नुस्खे में लिखें, ऐसा नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सीजीएचएस पैनल के अस्पतालों में विशेषज्ञ/ चिकित्सक कभी-कभी ब्रांडयुक्त दवाएं लिखते हैं। सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी वैकल्पिक दवाएं प्रदान नहीं करते। लाभार्थियों को निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा लिखी गई ब्रांडयुक्त दवाओं के स्थान पर समान फॉर्मूलेशन और उपचारात्मक असर वाली केवल जेनरिक दवाएं ही दी जाती हैं। यदि उपयुक्त जेनरिक दवा या उसी संघटक वाली कोई अन्य औषधि आरोग्य केंद्र पर उपलब्ध नहीं है तो लिखी गई दवा प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट (एएलसी) के मार्फत इनडेंट की जाती है और लाभार्थी को जारी कर दी जाती है। सीजीएचएस चिकित्सा भंडार संगठन के माध्यम से बहुतायत में जेनरिक दवाएं खरीदता है। दवा वितरण के इस तंत्र का अनुपालन पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर में किया जाता है।

किसी स्कीम का सुदृढ़ीकरण और सुधार एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। सीजीएचएस प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की निर्बाध प्रदायगी सुकर बनाने तथा शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए इसका कार्य संचालन इष्टतम बनाना सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य केंद्र स्तर पर स्थानीय सलाहकार सिमिति(यां) और अपर निदेशक स्तर पर आंचलिक सलाहकार सिमिति(यां) पूर्वोत्तर राज्यों सिहत सभी राज्यों के सभी सीजीएचएस शहरों में गठित की गई हैं। लाभार्थी दवाएं जारी करने से संबंधित शिकायतें निपटान के लिए इन सिमितियों के समक्ष रख सकते हैं।
